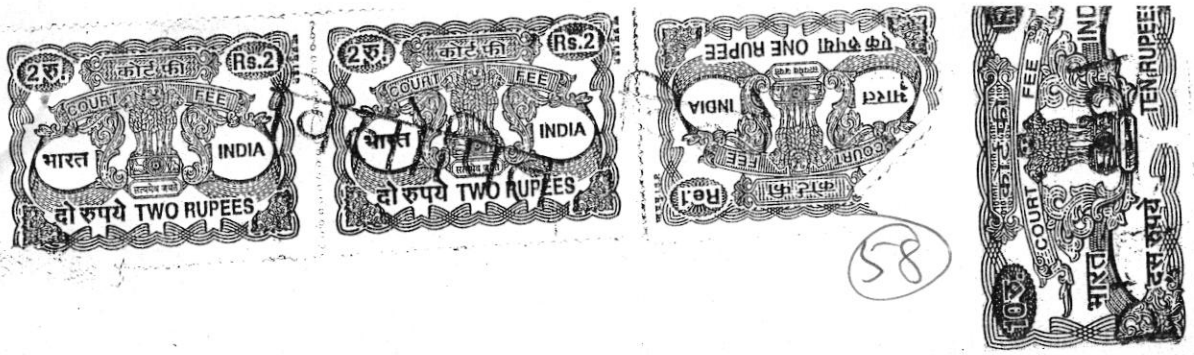

(58)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 पुनरीक्षण निग-1765-III-14

श्री ... द्वारा आज दि 17-6-14 को प्रस्तुत

पेशकार/रीडर, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. जवाहरलाल पुत्र गुलाबराम ब्राहम्ण,
2. प्रवीण पुत्र जवाहरलाल ब्राहम्ण,
3. रामविलास पुत्र गुलाबराम ब्राहम्बण
4. गुलाबराम पुत्र ईश्वरदीन

समस्त निवासीगण- ग्राम पावा, थाना व तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0 -- आवेदकगण

बनाम

1. बैजनाथसिंह पुत्र रणभानसिंह
2. कृष्ण प्रतापसिंह पुत्र गिरधरसिंह
3. जगतबहादुरसिंह पुत्र गिरधरसिंह
4. अवधेशसिंह पुत्र जगतबहादुरसिह
5. प्रभातसिंह पुत्र जगतबहादुरसिंह
6. भूपेन्द्रसिंह पुत्र जगतबहादुरसिंह
7. राजेशसिंह पुत्र जगतबहादुरसिंह

समस्त निवासीगण- ग्राम पावा, थाना व तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0 --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनाक 5/6/2014 पारित द्वारा तहसील चुरहट के प्रकरण कमांक 02/अ-13/2013-14 एवं प्रकरण कमांक 03/अ-13/2013-14 पुनरीक्षण व उनवान बैजनाथसिंह आदि बनाम गुलाबराम आदि ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1765–तीन/14 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला–सीधी के प्र0क्र0 02/अ–13/2012–13 एवं 03/अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप्त में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के तहत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 05.06.14 विधि के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है। प्रकरण में विवादित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 165, नया बन्दोबस्ती सर्वे क्रमांक 321 स्थित ग्राम पावा, आवेदकगण के रिकॉर्डिड स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है, तथा वर्तमान में भी है एवं यह तथ्य प्रकरण के लिये स्वीकृत तथ्य भी रहा है। आवेदकगण की इसी कृषि भूमि में से अनावेदकगण द्वारा विधि विपरीत रास्ते की मांग की गई है, जिसकी कि अनुमति अनावेदकगण को कानूनन नहीं दी जा सकती है। अनावेदकगण द्वारा मात्र आवेदकगण को परेशान करने की नियत से एक ही विवाद को लेकर अनावेदकगण के विरूद्ध दो प्रकरण विभिन्न दिनांकों में आवेदन देकर पंजीबद्ध कराये	

गये है, जो कि पृथक–पृथक प्रकरण क्रमांकों पर दर्ज होकर विचाराधीन है। उक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य विवाद, पक्षकारान एवं विवादित कृषि भूमि एक ही है। इस प्रकार अनावेदकगण प्रस्तुत प्रकरण रेसज्युडिकेटा से प्रभावित होकर प्रचलन योग्य नहीं रह जाते। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे । इसके प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत तहसील न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार चुरहट ने उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा शांतिपूर्वक साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किये गये जाने का निवेदन किया गया । उभयपक्षों के निवेदन पर ही तहसील न्यायालय ने आवेदक के साक्षियों का पूर्ण प्रतिपरीक्षण लिया, अनावेदक के अभिभाषक ने साक्षियों के प्रतिपरीक्षण कराये जाने हेतु अवसर चाहा गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा न्यायहित में अनावेदक को भी साक्षियों का पूर्ण प्रतिपरीक्षण किये जाने के अवसर इस शर्त के साथ दिया कि साक्षी के आने–जाने का खर्चा एवं गवाह खुराक रुपये 60/– (रुपये साठ मात्र।) न्यायालय के समक्ष अदा करें। तहसील न्यायालय ने जो दिनांक 05.06.2014 को आदेश पारित किया है, उसमें त्रुटि परिलक्षित नहीं होती, क्योंकि न्याय की मंशा को देखते हुये, एकपक्षीय कार्यवाही न करते हुये दोनों पक्षों को समुचित अवसर प्रदान किया गया है, जिससे हितबद्ध पक्षकार न्याय से वंचित न हो सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय

तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला–सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0एस0अली)
सदस्य